

पश्चिम रेलवे

क्रमांक. ई/1054/21/पेंशन अदालत खंड III

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय

मुंबई सेंट्रल

दिनांक: ०२/०४/२०२४

सेवा में,

सभी अधीनस्थ,

मुंबई मंडल

विषय:- पेंशन अदालत- जून-2024

"पेंशन अदालत" प्रत्येक वर्ष जून और दिसंबर माह में मंडल स्तर पर, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मुंबई सेंट्रल में आयोजित कि जाती है। प्रत्येक वर्ष की भाँति इस वर्ष भी पश्चिम रेलवे, मुंबई मंडल के रेलवे पेंशनभोगियों की शिकायतों के निवारण के लिए **18 जून 2024 (मंगलवार)** को पश्चिम रेलवे, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मुंबई सेंट्रल में "पेंशन अदालत-जून-2024" का आयोजन किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे मुंबई मंडल से संबंधित जो पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी, जिनके पास निपटान बकाया, पेंशन/पारिवारिक पेंशन या पेंशन के संशोधन आदि के भुगतान के संबंध में शिकायतें हैं, वे अपने आवेदन, निम्नानुसार तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं

1) ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पते के माध्यम से <http://203.153.40.19/bct> (अस्थायी फॉर्म - पेंशन अदालत के लिए आवेदन/शिकायत- जून २०२४), संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न की जाए।

2) ऑफ़लाइन (हार्डकॉपी):- पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी जो ऑफ़लाइन (हार्डकॉपी) आवेदन करना चाहते हैं, वे "वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी (पेंशन अदालत- जून २०२४), स्था/निपटारा अनुभाग, चौथी मंजिल, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मुंबई सेंट्रल, मुंबई-40008" को संबोधित कर, दिनांक **10/05/2024** तक या उससे पहले अपने आवेदन संलग्न प्रोफार्मा (जो पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों की आसानी के लिए तैयार किया गया है) में जमा/भेज सकते हैं। अभ्यावेदन के साथ संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां भी संलग्न की जाए।

कृपया नीतिगत मामलों को अदालत में नहीं उठाया जा सकता है। इसी प्रकार, ऐसी शिकायतें जो पेंशन अदालत से संबंधित नहीं हैं, जैसे अनुकंपा नियुक्तियां, जन्मतिथि में बदलाव, सेवा के दौरान चयन/उपयुक्तता परीक्षण में अयोग्यता, सेवा के दौरान डीएआर नियमों के तहत लगाए गए दंड, मामले कानूनी निहितार्थों और न्यायालय में विचाराधीन मामलों को पेंशन अदालत में नहीं उठाया जाए। निपटान बकाया के अनुचित भुगतान से संबंधित विशिष्ट शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा।


पेंशनभोगी अपनी शिकायत केवल व्यक्तिगत रूप से या परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से ही प्रस्तुत कर सकते हैं। हालाँकि, अशिक्षित पेंशनभोगी, विधवा या नाबालिग के मामले में, जिनके लिए अदालत

के समक्ष अपने मामलों को प्रभावी ढंग से तैयार करना और प्रस्तुत करना संभव नहीं हो सकता है, ऐसे मामलों में अगर वे चाहें तो प्रशासन से सहायता ले सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम दिनांक 10/05/2024 है।

सभी अधीनस्थों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस मुद्दे का व्यापक प्रचार किया जाए और किसी भी पेंशनभोगी/कर्मचारी या उनके परिवार को जो उनकी देखभाल करता है, को समझाया जाए।

उक्त अधिसूचना की एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रदर्शित की जा सकती है। विशिष्ट परफॉर्मा इसके साथ संलग्न है


कृते मंडल रेल प्रबंधक (स्था.)
पश्चिम रेलवे,
मुंबई सेंट्रल।

प्रति/- मंडल सचिव, डब्ल्यूआरएमएस/बीसीटी, डब्ल्यूआरईयू/जीटीआर,
एससी/एसटी एसोसिएशन/जीटीआर, ओबीसी एसोसिएशन/पीडीजीआर

"इस आर्डर की कॉपी इंटरनेट पर, <http://203.153.40.19/bctaddress> पर अथवा Ekarmik BCT मोबाइल application के मेमो/Notification tab के अंतर्गत देखी व डाउनलोड की जा सकती हैं। भविष्य में कार्मिक विभाग द्वारा पब्लिश की जानेवाली सभी सूचनाओं के लिए उपरोक्त एप/पोर्टल देखें।"

प्रोफार्मा- "पेंशन अदालत-जून २०२४"

प्रति,

वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी

(पेंशन अदालत-जून २०२४),

ई/निपटारा अनुभाग, चौथी मंजिल,

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, मुंबई सेंद्रल,

मुंबई-400008.

1. आवेदक का नाम
2. भूतपूर्व रेल सेवक का नाम.....
3. पदनाम/पिछली धारित पदविभाग:.....
4. इकाई कार्यालय जहां पिछली बार पदस्थापित किया गया था
5. सेवानिवृत्ति की प्रकृति:
- (अधिवर्षिता/स्वैच्छिक/अनिवार्य/चिकित्सकीय रूप से गैर-वर्गीकृत/तकनीकी त्यागपत्र/सेवा से हटाना आदि)
6. सेवानिवृत्ति की तिथि:.....
7. पीएफ नंबर: पीपीओ नंबर:
8. क्या पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी:
9. मृतक के साथ संबंध (पारिवारिक पेंशनभोगी के लिए):
10. भूतपूर्व रेल सेवक की मृत्यु की तिथि:
11. रेलवे कर्मचारी द्वारा आहरित अंतिम वेतन:
12. वेतनमान (सेवानिवृत्ति/सेवा में मृत्यु के समय):
13. आधार संख्या:
14. पैन नंबर:
15. मोबाइल नंबर :(1)(2)
16. ई-मेल आईडी:

..... पृष्ठ संख्या पर

17. पता :-.....
.....
.....
..... पिन कोड

18. विस्तार से शिकायत:-.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

19. संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां:-

- (i) सेवा प्रमाणपत्र
- (ii) आरईएलएचएस/पारिवारिक पहचान पत्र की प्रति (उपलब्धता के अनुसार)
- (iii) पैन कार्ड
- (iv) आधार कार्ड
- (v) प्रारंभिक पीपीओ (यानी सेवानिवृत्ति के समय जारी पीपीओ)
- (vi) संशोधित पीपीओ
- (vii) बैंक पास बुक
- (viii) बैंक द्वारा जारी पेंशन पर्ची
- (ix) रेलवे कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- (x) कोई अन्य दस्तावेज जैसे:-

हस्ताक्षर :
नाम :
तारीख :

WESTERN RAILWAY

No.E/1054/21/Pension Adalat.Vol.III

DRM's Office
Mumbai Central
Dt. 02/04/2024

To,
All Subordinates,
Mumbai Division

Sub:-PENSION ADALAT- JUNE-2024

The "**Pension Adalat**" is being held twice in a year i.e. in June and December every year at Divisional Office, Mumbai Central. Accordingly "**Pension Adalat-June-2024**" will be held on **18th June 2024 (Tuesday)** at Western Railway, Divisional Railway Manager's Office, Mumbai Central to redress the grievances of Railway Pensioners of **Western Railway, Mumbai Division**.

Pensioners/Family pensioners who retired/expired from **Western Railway, Mumbai Division**, and having grievances regarding payment of Settlement dues, Pension/Family Pension or Revision of Pension etc may submit their applications, preferably in triplicate in the following Performa and the same should be subscribed to "**Pension Adalat-June-2024**" as under:-

1) **ONLINE** through official website address (<http://203.153.40.19/bct>) (**Temporary Form-Application/Grievance for Pension Adalat-June 2024**). Copies of the relevant documents may also be attached.

OR

2) **OFFLINE (Hardcopy)**:- The Pensioners/Family Pensioners who desires to submit representations **OFFLINE (Hardcopy)**, they may submit/send their representations addressed to "**Senior Divisional Personnel Officer (Pension Adalat-June-2024), E/Settlement Section, 4th Floor, DRM's Office, Mumbai Central, Mumbai-400008**" on or before **10/5/2024 (Friday)** in enclosed Proforma which is prepared for ease of Pensioners/Family Pensioners. Copies of the relevant documents may also be enclosed with the representations.


It may please be note that, policy matters cannot be taken-up in the Adalat. Similarly, grievances that are not related to the Pension Adalat like compassionate appointments, alterations to date of birth, disqualification in selection / suitability tests during service, punishment imposed under DAR rules during service, cases involving legal implications, and sub judice cases, cannot be taken-up in the Pension Adalat. Specific grievances, relating to improper payment of settlement dues will only be entertained.

The pensioners can represent their grievance either in person or through a family member only. However, in case of an illiterate pensioner, widow, or a minor, it may not be possible for them to effectively prepare and present their cases before the Adalat. In such cases, they can, if they so desire, seek the assistance from administration.

The last date for submission of Representation viz Online & Offline is 10/05/2024.

All the subordinates should ensure that this issue is given wide publicity and explain to any pensioner/employee or his family who attends to them.

One copy of the said notification may be displayed and exhibited on the office **NOTICE BOARD** in Hindi and English. The specific Performa is attached herewith.


For Divisional Rly. Manager (Estt.)
Western Railway,
Mumbai Central.

C/- Divl. Secy., WRMS/MMCT, WREU/GTR, SC/ST Association/GTR, OBC Association/PDGR- For information

"इस आर्डर की कॉपी इंटरनेट पर, <http://203.153.40.19/bct> address पर अथवा Ekarmik BCT मोबाइल application के मेमो/Notification tab के अंतर्गत देखी व डाउनलोड की जा सकती है। भविष्य में कार्मिक विभाग द्वारा पब्लिश की जानेवाली सभी सूचनाओं के लिए उपरोक्त एप/पोर्टल देखें।"

PROFORMA–“PENSION ADALAT- JUNE 2024”

To,
Senior Divisional Personnel Officer.
(Pension Adalat-JUNE 2024),
E/Settlement Section, 4th Floor,
DRM's Office, Mumbai Central,
Mumbai-400008.

1. Name of Applicant :.....
2. Name of the Ex-Rly Servant :.....
3. Designation/Post Last Held:.....Department:.....
4. Unit Office where last posted:.....
5. Nature of Retirement :.....
(Superannuation/Voluntary/Compulsory/Medically De-categorised/ Technical
Resignation/ Removal from service etc.)
6. Date of Retirement:.....
7. PF No:..PPO Number :
8. Whether Pensioner/Family Pensioner:
9. Relation-ship with the Deceased (For Family Pensioner):.....
10. Date of Death of Ex-Rly Servant:.....
11. Last Pay drawn by Rly.Employee:
12. Scale of Pay(at the time of Retirement/Death in Service):
13. Aadhaar Number :.....
14. PAN Number:.....
15. Mobile Number :(1).....(2).....
16. E-Mail Id:.....

17. Address :-

.....
.....
.....
.....Pin Code.....

18. **GRIEVANCE** in detail:-

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

19. **Copies of Documents attached:-**

- (i) Service Certificate
- (ii) Copy of RELHS/Family Identity Card (as per availability)
- (iii) PAN Card
- (iv) Aadhaar Card
- (v) Initial PPO (i.e. PPO issued at the time of Retirement)
- (vi) Revised PPO
- (vii) Bank Pass Book
- (viii) Pension Slip issued by Bank
- (ix) Death Certificate of Railway Employee (if applicable)
- (x) Any Other Documents viz:-

Signature :.....
Name :.....
Date :.....